



भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक संख्या-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Government of India
M/o Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Department of Personnel and Training
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2020

शुद्धिपत्र

फा.संख्या 3-4/2020-नीति एवं योजना-1 (खंड-1): अभ्यर्थी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2020 की विज्ञप्ति का अवलोकन करें। परीक्षा की विज्ञप्ति के संबंधित पैरा (पैराओं) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत विनिर्दिष्ट दिव्यांगजनों की निम्नलिखित श्रेणियाँ विदेश मंत्रालय (एमईए) में सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) पद के लिए पात्र हैं:-

पैरा एवं क्रम सं.	के लिए उपयुक्त पाया गया	शारीरिक अपेक्षाएं
पैरा 2.2 एवं क्रम सं.6	(क) अभिसाधित कुष्ठ, बौद्धिक दिव्यांगता, बौनापन, अम्ल हमले (एसिड अटेक) से पीड़ित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित गति विषयक दिव्यांगता(एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर) (ख) दृष्टिहीन एवं अल्प-दृष्टि (ग)बधिर और सुनने में कठिनाई (श्र.दि) (घ) विशिष्ट शिक्षा दिव्यांगता (ङ) उपर्युक्त (क) और (घ) में से बधिर-दृष्टिहीन छोड़कर बहु दिव्यांगता	बैठना, खड़ा होना, चलना, पढ़ना और लिखना, देखना, सुनना, बात-चीत

2. सारणी के क्रं. सं. 19 के तहत पैरा 2.2 को ऐसे पढ़ा जाए:

पैरा एवं क्रं. सं.	पद का नाम	मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय/ संवर्ग	पदों का वर्गीकरण	पद के लिए अनुमत शारीरिक दिव्यांगताओं की प्रकृति	आयु-सीमा
पैरा 2.2	सहायक	भारतीय	समूह "ख"	एक बांह, एक पैर,	30 वर्ष से

एवं क्रम संख्या-19		तटरक्षक बल		दृष्टिहीन, एक बांह पैर एवं अल्प-दृष्टिहीन	अधिक नहीं
		अन्य मंत्रालय, विभाग/संगठन		एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह पैर, अल्प-दृष्टि एवं श्र.दि.	

3. पैरा 8.4 को ऐसे पढा जाए:

“अभ्यर्थियों की आवश्यक योग्यताएं 01-01-2021 तक या उसके पहले की होनी चाहिए”

अवर सचिव (नीति एवं योजना- I)
13-01-2021